



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-921/2097

नवा रायपुर, दिनांक 23/08/2024

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
 धमतरी वन मंडल, धमतरी
 छत्तीसगढ़

विषय :-

Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culver and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of road is proposed under the Forest land diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtati District in the State of Chhattisgarh-reg.

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/ FC-8/5/2024- IRO/ Raipur/ 122 दिनांक 16.08.2024

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)।

संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा 2 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-

उपरोक्तानुसार

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.)
 छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-921/2098

नवा रायपुर, दिनांक 23/08/2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
 संलग्न:- उपरोक्तानुसार

2. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 (भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ.)
 छत्तीसगढ़

भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
उप - कार्यालय,
अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक,
सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर
छत्तीसगढ़ - 492002
ईमेल-iro.raipur-mefcc@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS &
CLIMATE CHANGE
SUB-OFFICE
ARANYA BHAWAN, NORTH BLOCK, SECTOR-19,
NAYA RAIPUR, ATAL NAGAR, CHHATTISGARH -
492002 Email - iro.raipur-mefcc@gov.in

File No. FC-8/5/2024-IRO-RAIPUR/122

Date: - 16/08/2024

To,

The Principal Secretary (Forests),
Govt. of Chhattisgarh,
Mantralaya, Mahanadi Bhawan
Naya Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh.

Sub: Diversion of 37.973 ha of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culvert and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of road is proposed under the Forest land diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarh (Proposal no. FP/CG/ROAD/151953/2022)- regarding.

Sir,

Kindly refer to letter F-5-38/2023/10-2 dated 20.11.2023 of the Government of Chhattisgarh and additional information submitted by the State Government vide letter no. F-5-38/2023/10-2 dated 05.06.2024, on the above subject seeking prior approval of the Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.

The instant proposal was placed before the REC in 116th meeting held on 10.07.2024. After detailed examination of the proposal and deliberation, the Committee decided that the proposal to be palced again before REC after receipt of the following additional information from the State Government and as per discussion with the Nodal Officer, Chhattisgarh,

- (i) Non forest area in equivalent extent or suitable revenue forest area in double the extent of forest area proposed for diversion along with site specific CA scheme, kml, site suitability certificate etc.
- (ii) Site suitable conservation plan for rare and endangered species of flora and fauna duly approved by the CWLW;

In view of the above, I am directed to request the State Government to submit the above information at the earliest please

Yours faithfully,

(C. B. Tashildar)

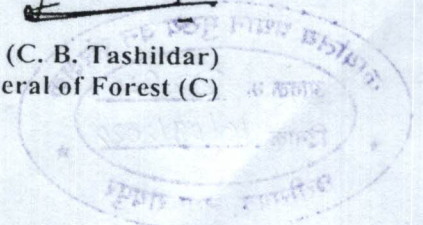
Assistant Inspector General of Forest (C)

Copy to:

1. The PCCF & HoFF, Government of Chhattisgarh, Sector-19, Aranya Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur (CG).
2. The Addl. PCCF & Nodal Officer (FCA), Government of Chhattisgarh, Sector-19, Aranya Bhavan, Atal Nagar, Naya Raipur (CG).
3. User Agency.
4. Guard File.

(C. B. Tashildar)

Assistant Inspector General of Forest (C)



(93)

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-38/2023/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 30/08/2024

✓ प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
अरण्य भवन, सेक्टर-19,
नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़।

विषय:- Diversion of 37.973 ha of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culvert and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of road is proposed under the Forest land diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarh (proposal No. FP/CG/ROAD/151953/2022)- regarding.

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर का पत्र क्र. FC-8/5/2024-IRO-RAIPUR/122, दिनांक 16.08.2024।

विषयांतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उप कार्यालय, रायपुर से प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

2/- अतः कृपया भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई वांछित अतिरिक्त जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (1 पृष्ठीय)।

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-38/2023/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /08/2024

प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी धमतरी वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 - 4.कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)

नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

आवक क्र.

3940

दिनांक

17/09/24

APCCF (4/M)

APCCF



95

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख छत्तीसगढ़
 अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
 (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-921/2308

नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2024

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
 दुर्ग वन मंडल, दुर्ग
 छत्तीसगढ़

विषय :- Diversion of 37.973 ha. of forest land for non-forest purpose under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 in favour of PWD (B&R) Division Dhamtari proposed for Upgradation renewal and Widening work of Megha-Singpur-Dugli Road i/c culver and bridge work, total length 35 km within the 23.715 km length of road is proposed under the Forest land diversion in Dhamtari Forest Division, Dhamtari District in the State of Chhattisgarh-reg.

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा दिनांक 10.07.2024 को आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय।

= 0 =

विषयांकित प्रकरण क्रमांक 1 में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु महासमुन्द वन मंडल के पिथौरा परिक्षेत्र, ग्राम धरमपुरा कक्ष क्रमांक 287 में प्रस्तावित दुगुने बिगड़े वन भूमि रकबा 76.00 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा दिनांक 10.07.2024 को आयोजित बैठक में विचारोपरांत अमान्य कर दिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

अतः विषयांकित प्रकरण मेगहा-सिंगपुर-दुगली मार्ग के लिए रकबा 37.973 हे. एवं कर्राघाटी- राजपुर मार्ग निर्माण के लिए रकबा 11.03 हे. इस प्रकार कुल 49.003 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु हरियर छत्तीसगढ़ योजना अंतर्गत कराये गये वृक्षारोपण क्षेत्र उपलब्धता से आवेदक संस्थान को अवगत कराये ताकि उनके द्वारा डी.जी.पी.एस. सर्वे का कार्य पूर्ण कराया जाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। तदोपरांत उक्त क्षेत्र का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्राक्कलन तैयार कर वन मंडलाधिकारी, धमतरी वन मंडल को उपलब्ध करावें।

संलग्न: संदर्भ पत्र की प्रति

अ.प्र.मु.व.सं (भू - प्रबंध/वन (सं एवं सं)
 छत्तीसगढ़

पृ. क्र0/भू-प्रबंध/विविध/115-921/2309
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

नवा रायपुर, दिनांक 19/09/2024

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग / रायपुर वृत्त, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, धमतरी मंडल, धमतरी छत्तीसगढ़।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग धमतरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल से समन्वय स्थापित कर डी.जी.पी.एस. की कार्यवाही पूर्ण करावें।

अ.प्र.मु.व.सं (भू - प्रबंध/वन (सं एवं सं)
 छत्तीसगढ़

